न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –93/2019
(आर.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या–2019/00131)

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
प्रहलादराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी थंलाजू तहसील व जिला नागौर, राज0		तहसीलदार, नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से बाबुलाल भादू।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 06-02-2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा नम्बर 91/2019 अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.11.2019 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील ताबेउज़ मयाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त निर्णय/आदेश करने की अपीलाट को कोई जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि प्रकरण बहस हेतु नियत था, हाल ही में अपीलांट ने गांव में ऐसी चर्चा सुनी कि अपीलांट को उसकी खातेदारी की भूमि से बेदखल करने के आदेश तहसीलदार ने पारित किये है जिस पर अपीलांट ने दिनांक 21.11.2019 को अधिवक्ता से सम्पर्क करके जानकारी करवाई व नकल का आवेदन पेश करवाया जिस पर दिनांक 25.11.2019 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई फिर दुसरे दिन दिनांक 26.11.2019 को परिवादी नागौर आया व कानूनी राय ली तो अपील करने की राय मिली जिस पर दिनांक 26.11.2019 को ही सांय तक अपील तैयार करवाई व बिना देरी के दिनांक 27.112019 को अपील पेश की गई है, जिसे जानकारी से अन्दर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत होने का कथन करते हुए न्याय हित में तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट राजपैरोकार ने बहस का विरोध करते हुए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का कालडी ने अपीलांट के विरूद्ध एक मिथ्या रिपोर्ट मौजा थंलाजू क खसरा नम्बर 120 गे.मु. रास्ता पर अतिक्रमण करने की तहसीलदार नागौर के समक्ष पेश की, जिस पर तहसीलदार नागौर के न्यायालय में उक्त प्रकरण दर्ज होकर अपीलांट को तलब किया गया, जिस पर दिनांक 16.08.2019 को अपीलांट ने जवाब पेश कर निवेदन किया प्रार्थी/गेर सायल/अपीलांट के विरूद्ध पटवारी द्वारा मिथ्या रिपोर्ट पेश की है जो मौके की परिस्थिति व भौतिक रूप से जैसी स्थिति मौके पर है वैसी रिपोर्ट पेश नहीं की है। प्रार्थी/अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 118 व 165 के मध्य ग्रेवल सडक बनी हुई है जो ग्राम सींगड से खारी जाती है जो आज से करीब दो वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत कालडी द्वारा बनाई गयी थी तथा सडक जिस वक्त बनाई गयी थी वह सडक सही नाप चोप करके नहीं बनायी थी इस सडक को ग्राम पंचायत, हल्का पटवारी द्वारा मनमर्जी से बना दी गई थी तथा अब जिस व्यक्ति ने शिकायत की है

कलक्टर, नागौर

तथा पटवारी से करवाई तथा मौका रिपोर्ट बनायी वह राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 120 के अनुरूप बनायी गई अगर सडक कटाणी रास्ता रेकर्ड के अनुसार नहीं बनायी है तो वह गलती पटवारी हल्का एंव संबंधित ग्राम पंचायत की है अगर सडक को कटाणी रास्ता से हटकर अपीलांट के खेत मे से निकाली गई है वह संबंधित हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत के खिलाफ कार्यवाही करे व मुकदमा दर्ज करावे क्योकि अप्रार्थी/अपीलांट का खेत खराब करते हुए गलत रूप से सडक बना कर सरकारी पैसो का संबंधित सरपंच, ग्राम सेवक व पटवारी ने दुरूपयोग किया है तथा नाप चोप करके कटाणी रास्ते को खुलवाया जाता है या सही किया जाता है तो अपीलांट को कोई आपत्ति नहीं है तथा वर्तमान में रास्ता किसी प्रकार से बंद नहीं है तथा उक्त सडक को संबंधित ग्राम पंचायत व पटवारी ने मनमर्जी मुताबिक खातेदारों से व अन्य व्यक्तियों से प्रलोभन लेकर के गलत सडक बनायी है जो आगे पीछे से भी गलत बनी हुई है। यह मनमर्जी हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत की है अपीलांट को तो उल्टा खेत खराब कर दिया है। विवाद केवल मात्र रास्ता बंद करने का नहीं है जहां रास्ता रेकर्ड में इन्द्राज है वहां उक्त सडक पुरी को ही टेडा मेडा बना दिया गया है तथा मौके पर जहां पर ग्रेवल सडक बनी हुई है वहां रास्ता आज दिन चालू है तथा पूरी सडक का माप चोप कर जहां कटाणी रास्ता है वहां से खुलवाया जाकर शुरू से अन्त तक सही किया जावे तथा गलत सडक बनाने वालो के विरूद्ध सरकारी पैसो का दुरूपयोग करने व अपीलांट का खेत खराब करने के संबंध में कार्यवाही करने की कृपा करावें व मौके पर जहां ग्रेवल सडक बनी हुई है वहा पर आज दिन रास्ता खुला होने व आवागमन जारी होने से स्पष्ट अंकन किया केवल मात्र ग्रेवल सडक बनायी है उसको रेकर्ड में रास्ता खसरा नम्बर 120 वाके थंलाजू का संबंधित ग्राम पंचायत व हल्का पटवारी ने मनमर्जी से प्रलोभन लेकर के गलत रूप से बनाते हुए सरकारी पैसे का दुरूपयोग कर उतरदाता अपीलांट का खेत खराब करते हुए बनायी गयी है उनके खिलाफ कार्यवाही करने का निवेदन किया व रेकर्ड में इन्द्राज कटाणी रास्ते का माप चोप कर खुला करवाया जाने व इसमें अप्रार्थी अपीलांट सहमत होने व अप्रार्थी का कटाणी रास्ता पर कोई अतिक्रमण नहीं होने व अप्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर ने अपीलांट के जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना व स्वंय के स्तर पर कोई जांच किये बिना अपीलांट को ग्राम थंलाजू के खसरा नम्बर 120 पर 11 बिस्वा गे.मु. रास्ते पर अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखल व जुर्माना से दण्डित करने का आदेश दिनांक 15.10.2019 को पारित कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार नागौर का निर्णय जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्ध व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण वास्तविक व मौके की स्थिति बाबत जवाब पेश कर दिया था वैसी सुरत में उस संबंध में अपीलांट को साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था व टीम से रास्ते का नाप चोप करवाया जाना चाहिए था व स्वंय मौके पर पधार कर निरीक्षण करते तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती मगर अधिनस्थ न्यायालय नागौर न तो जवाब के तथ्यों पर कोई घोर किया न स्वंय ने कोई मौका निरीक्षण किया न ही वास्तविक नाप चोप रास्ते व खातेदारी के खेत का करवा कर रिपोर्ट प्राप्त की तथा केवल पटवारी की गलत व दुर्भावनापूर्वक रिपोर्ट को आधार मानकर आदेश/निर्णय जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है।

अपीलांट बार–बार तहसील कार्यालय में चक्कर काटने के बावजूद अपीलांट को जानबूझकर सुनवाई व साक्ष्य से वंचित रखा यही जवाब मिलता कि सभी पत्रावलीयां एक ही बस्ते में है ऐसी करीब 80 पत्रावलीयां है आपका जवाब आया हुआ है उसके अनुसार साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर दिया जाने के बाद सभी में एक साथ निर्णय होगा व दिनांक 17.09.2019 को पीठासीन अधिकारी जयपुर पधारे होने से कह कर पेशी दिनांक 15.11.2019 की नोट करवा दी लेकिन बाद में आदेशिका में दर्ज की उस समय पीठासीन अधिकारी जयपुर पधारे होने की सील लगा कर पेशी दिनांक 15.10.2019 देने का अंकन कर दिया। जबकि अपीलांट व उसके वकील को पेशी दिनांक 15.11.2019 को नोट करवाई व अपीलांट आश्वस्त हो गया कि दिनांक 15.11.2019 को जवाब व साक्ष्य पेश कर देगे लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने पेशी दिनांक 15.11.2019 की जगह दिनांक 15.10.2019 को लिख कर अपीलांट की पीठ पीछे अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करने का विधि विरूद्ध निर्णय जैर अपील पारित किया गया है।

कलक्टर, नागौर

अपीलांट का सरकारी रास्ता पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है तथा मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई है रास्ता खुला है अवागमन जारी है केवल मात्र नाप चोप का विवाद है जो संबंधित हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत ने ऐसा विवाद पैदा किया है इन लोगो ने बदनियति से सही नाप नहीं किया इसलिए टीम गठित की जाकर सही नाप चोप मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जावे उसके बाद ही कोई निर्णय पारित किया जावे ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय में भी उक्त उजर ऐतराज उठाया मगर आज तक वास्तविक स्थिति की कोई जांच रिपोर्ट नहीं मंगवाई गयी है जिससे उक्त प्रकरण में निर्णय पारित करने से पूर्व टीम गठित कर मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे व आदेश जैर अपील निरस्त कर पत्रावली रिमाण्ड कर पुनः आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

अधिनस्थ न्यायालय के आदेश जैर अपील का अवलोकन किया जावे तो उसमें पत्रावली पर आये तथ्यों के विपरीत व विरोधाभाषी तथ्य दर्ज किये है आदेश में कांट छांट है तथा आदेश में लिखा है कि अपीलांट ने अतिक्रमी होना स्वीकार किया है, जबकि ऐसा अंकन अधिनस्थ न्यायालय ने सरासर गलत दर्ज किया है अपीलांट ने कभी भी अतिक्रमी होना स्वीकार नहीं किया है बल्कि खुलासा जवाब पेश कर वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया है पटवारी वगैरा राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गयी गलती, लापरवाही के संबंध में जांच व कार्यवाही नहीं करके अपीलांट को अतिक्रमी बिना किसी आधार के घोषित कर बेदखल व जुर्माने का सरासर गलत आदेश पारित किया है जिससे आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जावे व विकल्प में प्रकरण में निर्णय पारित करने से पूर्व टीम गठित कर मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे व आदेश जैर अपील निरस्त कर पत्रावली रिमाण्ड कर वास्तविक स्थिति रेकर्ड पर लेकर साक्ष्य लेकर व अपीलांट की उपस्थिति में जांच व नाप चोप करवाया जाकर पुनः आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाना उचित व न्याय संगत होने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसके संबंध में पटवारी कालड़ी व भू अभिलेख निरीक्षक अलाय ने स्पष्ट रिपोर्ट दी है, उक्त रिपोर्ट पर सन्देह का कोई कारण नहीं होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में पटवारी कालड़ी व भू अभिलेख निरीक्षक अलाय की रिपोर्ट दिनांक 09.07.2019 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम थलांजू के खसरा नम्बर 120 गैर मुमकिन रास्ते की 0.11 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा प्रतिरक्षण में दिनांक 16.08.2019 को जबाब प्रस्तुत अनुसार अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 118 व 165 के मध्य ग्रेवल सड़क बनी हुई है, जो ग्राम पंचायत कालड़ी द्वारा बनायी गई थी वह सड़क मौके पर खुली है। जिस वक्त सड़क बनायी गई थी वह सड़क सही नाप चौप नहीं बनाकर ग्राम पंचायत व हल्का पटवारी द्वारा मनमर्जी से बना दी गई। अपीलान्ट का कटाणी रास्ते पर कोई कब्जा नहीं है आदि कथन किये गये है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा जो जबाब प्रस्तुत कर कथन किये गये है, उन कथनों के खण्डन स्वरूप कोई तथ्य अपने निर्णय में अंकित नहीं किये गये है, मात्र पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो कतई उचित नहीं है। अतः प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय हेतु अधिनस्थ न्यायालय रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रति–प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जबाब के सन्दर्भ में अपीलान्ट को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर आवश्यक होने पर पुनः मौके की जॉच कर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 14:24:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: